

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग**

**17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. एस. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली - 110001**

फा.सं. ए - 110018/01/2021-सी ए क्यू एम/989-1138 दिनांक :- 06-10-2023

विषय: एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत निर्देश - एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) की संशोधित अनुसूची

1. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का ऊंचा स्तर गंभीर चिंता का विषय रहा है और विशेषतः वायु प्रदूषण की प्रासंगिक बढ़ोत्तरी के सन्दर्भ में सी पी सी बी की शिफारिशों के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2017 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जी आर ए पी) अधिसूचित किया गया था |
2. जबकि, पिछले कुछ वर्षों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में आमतौर पर सर्दियों में वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को हल करने के लिए जी आर ए पी में दिए गए निवारक/प्रतिबंधात्मक उपाय किये गए | आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जी आर ए पी) की अनुसूची की समीक्षा की और अग्रिम चिन्हित कार्रवाई / उपाय लागू किये जो कि ए क्यू आई पूर्वानुमान पर आधारित हैं |
3. जब कि, तदनुसार जी आर ए पी अनुसूची की आयोग द्वारा 2022 में समीक्षा की गई और 2022 के निर्देश सं. 66 दिनांक 05 अगस्त 2022 के माध्यम से अधिसूचित किया गया जो कि 01-10-2022 से लागू हुआ |
4. जब कि, 2022-23 के सर्दी के मौसम के दौरान अनुभवों से सीखने के आधार पर और 28-06-2023 को जी आर ए पी पर उप समिति द्वारा किये गए विचार- विमर्श के आधार पर जी आर ए पी अनुसूची की समीक्षा की गई और निर्देश संख्या 75 दिनांक -27-07-2023 के तहत जारी की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डी जी सेट के विनियमित संचालन के लिए एक अनुसूची भी शामिल थी जो कि एन सी आर के सभी क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय कार्यालय प्रतिष्ठान आदि में डी जी सेट के विनियमित प्रयोग के संबंध में निर्देश संख्या 73 दिनांक: 02-06-2023 के तहत जारी किया गया |
5. जबकि, उपरोक्त संदर्भ में निर्देश संख्या 73 के अनुसार जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन करने वाले विभिन्न हित धारकों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए आर ई सी डी की उपलब्धता / दोहरे

ईंधन सिस्टम / सी पी सी बी के नवीनतम मानकों के अनुसार नये जनरेटर सेट और उनके द्वारा दिए गए विभिन्न अन्य तकनीकी-वाणिज्यिक विचारों के आधार पर आयोग ने मौजूदा निर्देशों, आदेशों एवं दिशा निर्देशों के अधिक्रमण में डी जी सेट के लिए वे विनियमन निर्देश संख्या 76 दिनांक 29-09-2023 के तहत जारी किया। इसके अनुसार ऐसे डी जी सेटों (नियमित बिजली आपूर्ति विफलता के विरुद्ध केवल बैकअप के रूप में विनियमित संचालन के लिए नई अनुसूची एन सी आर के सभी क्षेत्रों के लिए जारी की। इसमें जी आर ए पी (चरण-II और उससे आगे) डी जी सेट पर लगाये जाने वाले प्रतिबंधों / विनियमों को शामिल किया गया है।

6. अब इसलिए, एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश संख्या 75 को इस हद तक जी आर ए पी अनुसूची में तत्काल प्रभाव से संशोधन करता है।
7. यद्यपि, दिल्ली के लिए एक्यू आई पूर्वानुमानों के आधार पर जी आर ए पी के विभिन्न चरणों के तहत आयोग द्वारा आदेश दिए जाने पर इसे लागू किया जायेगा।

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव

ई-मेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में :

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय, विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226 001
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकार सचिवालय, जयपुर, राजस्थान - 302 005
3. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौथी मंजिल, सिविल सचिवालय, सेक्टर - 1, चंडीगढ़
4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, तीसरा तल, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
5. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश
6. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, कमरा नं. 335, तीसरी मंजिल, हरियाणा, न्यू सचिवालय, सेक्टर 17, चंडीगढ़
7. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा नं. 801, 8वीं मंजिल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली - 110002
8. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, कमरा नंबर 4224, द्वितीय तल, मेन बिल्डिंग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर

9. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, कमरा नंबर 701, बापू भवन, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
10. अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान कमरा नंबर 4102, मैन बिल्डिंग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर, राजस्थान
11. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार, कमरा न. 621, छठी मंजिल, न्यू सेक्रेटेरिएट, सेक्टर 17, चंडीगढ़
12. प्रधान सचिव एवं आयुक्त परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 5/9, अन्डर हिल रोड, लुडलो कैसल, सिविल लाइन्स, दिल्ली -110054
13. प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 201, लोक भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
14. प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्थान, खाद्य भवन, सचिवालय जयपुर, राजस्थान
15. प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, 506, पाँचवा तल, न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट, सेक्टर 17, चंडीगढ़
16. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, नया पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली
17. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, 9बी तल, टावर-2, गोमती नगर एक्सटेंशन, शहीद, पथ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
18. पुलिस महानिदेशक राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, टोंक रोड, जोधपुर, राजस्थान
19. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पुलिस मुख्यालय, सेक्टर 5, सिटी-पंचकुला, हरियाणा -134109
20. विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) दिल्ली, दिल्ली पुलिस नया मुख्यालय, टावर-1, द्वितीय फ्लोर, जयसिंह रोड, नई दिल्ली
21. अपर पुलिस महानिदेशक, (यातायात) उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
22. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), राजस्थान, कमरा नंबर 740, पुलिस मुख्यालय, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान
23. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (यातायात एवं राजमार्ग), हरियाणा, सेक्टर - 7, करनाल, हरियाणा
24. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), जी 5 और 7, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
25. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), बी ब्लॉक, पहली मंजिल, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली - 110023
26. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), पालिका केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
27. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, चौथी मंजिल, मिंटो रोड, आईटीओ, दिल्ली - 110002

28. मुख्य अभियंता, (I, II, III) दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, चौथी मंजिल, मिंटो रोड, आईटीओ, दिल्ली - 110002
29. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, सदर बाज़ार रोड, दिल्ली कंटोनमेंट, दिल्ली 110010
30. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)। परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032
31. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी सी, 12 वी, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
32. अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 4, झालाना इंस्टिट्यूशनल, एरिया झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान-302004
33. अध्यक्ष, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा - 134109
34. अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, 6 तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, दिल्ली - 110002
35. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली, दूसरी मंजिल, मासो बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
36. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा निर्माण भवन, निर्माण सदन, प्लॉट नंबर 1, दक्षिण मार्ग, सेक्टर -33 ए, हरियाणा, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), चंडीगढ़।
37. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, 170, कमला नेहरू नगर, गणपति नगर, जयपुर, राजस्थान - 302007
38. मुख्य अभियंता, उ.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, 96 एम.जी. मॉर्ग, विपरीत राज भवन, लखनऊ-226001
39. सीएमडी, एनटीपीसी, एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
40. प्रबंध निदेशक, डीएमआरसी लिमिटेड, मेट्रो भवन, ब्रिगेड लेन, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001
41. प्रबंध निदेशक और सीईओ, डीआईएमटीएस, 8वीं मंजिल, ए ब्लॉक, आईटी पार्क रोड, मेट्रो विहार, शास्त्री पार्क, शाहदरा, नई दिल्ली, दिल्ली -110053
42. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट निगम, गतिशक्ति भवन, आई. एन. ए., नई दिल्ली-110023
43. अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली
44. अध्यक्ष, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर 6, नोएडा, उत्तर प्रदेश
45. अध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नंबर 01, नॉलेज पार्क -04, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी - 201308

46. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास पथ, पुराना बस स्टैंड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001.
47. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, मेट्रो स्टेशन, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 44, निकट हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम, हरियाणा।
48. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032
49. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टीसी-12वीं, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226010
50. सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 4. झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना झूंगरी, जयपुर, राजस्थान - 302004
51. सदस्य सचिव, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा - 134109
52. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पांचवीं मंजिल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, दिल्ली - 110002
53. मुख्य अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा शहरी, निदेशालय स्थानीय निकाय, ब्लॉक नं. 11-14. सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा -134112
54. मुख्य अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, प्लॉट नंबर -18, सेक्टर-7, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश
55. मुख्य अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय निदेशक, 22 गोदाम, निकट शिव लाइन, फाटक, जयपुर, राजस्थान
56. उपायुक्त, सेंट्रल दिल्ली, 14, दरियागंज, नई दिल्ली - 110002
57. उपायुक्त, पूर्वी दिल्ली, एल एम बंड, शास्त्री नगर, दिल्ली - 110031
58. उपायुक्त, नई दिल्ली, 12/1, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 110011
59. उपायुक्त, नार्थ दिल्ली, अलीपुर, दिल्ली- 110036
60. उपायुक्त, उत्तर पूर्वी दिल्ली, डीसी कार्यालय परिसर, नन्द नगरी, गगन सिनेमा के सामने, दिल्ली - 110093
61. उपायुक्त, उत्तर पश्चिम दिल्ली, कंझावाला, दिल्ली - 110081
62. उपायुक्त, शाहदरा, नन्द नगरी, सामने गगन सिनेमा, दिल्ली-110093
63. उपायुक्त, दक्षिणी दिल्ली, एम बी रोड, साकेत, नई दिल्ली 110068
64. उपायुक्त, दक्षिण पूर्व दिल्ली, ओल्ड गर्गी कॉलेज बिल्डिंग, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली - 110024
65. उपायुक्त, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, ओल्ड टर्मिनॉल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेरा, नई दिल्ली- 110037

- 66.उपायुक्त, पश्चिमी दिल्ली, प्लॉट नंबर 3, शिवाजी पैलेस, निकट वेस्ट मॉल गेट, राजा गार्डन, नई दिल्ली - 110027
- 67.जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, समाहरणालय, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002
- 68.जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,समाहरणालय, राजनगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001
- 69.जिला मजिस्ट्रेट, शामली, बड़ा बाज़ार, शामली, उत्तर प्रदेश - 247776
- 70.जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर कलेक्टोरेट, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203001
- 71.जिला मजिस्ट्रेट, मुज़फ्फरनगर, कलेक्टोरेट, (प्रकाश चौक के निकट), जिला - मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश -251001
- 72.जिला मजिस्ट्रेट, हापुर, समाहरणालय, हापुर, उत्तर प्रदेश -245101
- 73.जिला मजिस्ट्रेट, बाघपत समाहरणालय, बाघपत, उत्तर प्रदेश -250619
- 74.जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर, तुलसी मार्ग, पॉकेट जी, सेक्टर -27, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश -201301
- 75.उपायुक्त, रोहतक, मिनी सचिवालय, जिला रोहतक, हरियाणा - 124001
- 76.उपायुक्त, गुरुग्राम, प्रथम तल, मिनी सचिवालय, गुरुग्राम
- 77.उपायुक्त, सोनीपत, मिनी सचिवालय, जिला सोनीपत, हरियाणा - 131001
- 78.उपायुक्त, पानीपत, प्रथम तल, मिनी सचिवालय, जिला पानीपत, हरियाणा - 132103
79. उपायुक्त, करनाल, मॉल रोड, करनाल, जिला करनाल, हरियाणा - 132001
80. उपायुक्त, फरीदाबाद, कमरा नं. - 111, प्रथम तल, मिनी सचिवालय, सेक्टर-12, फरीदाबाद-121004
81. उपायुक्त, भिवानी, आयुक्त कार्यालय, भिवानी, हरियाणा -127021
82. उपायुक्त, रेवाड़ी, मिनी सचिवालय, बाउल रूड, राजीव चौक, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401
83. उपायुक्त, महेन्द्रगढ़, प्रथम तल, मिनी सेक्रेटोरियट, नारनौल, महेन्द्रगढ़, हरियाणा
84. उपायुक्त, पलवल, कमरा नं-201, द्वितीय तल, मिनी सेक्रेटोरियोट, पलवल, हरियाणा- 121102
85. उपायुक्त, नूंह, द्वितीय तल, लघु सचिवालय, नूंह, हरियाणा -122107
86. उपायुक्त, झज्जर, लघु सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, झज्जर, हरियाणा - 124103
87. उपायुक्त, चरखी दादरी, मिनी सचिवालय, चरखी दादरी, हरियाणा
88. उपायुक्त, जींद, उपायुक्त कार्यालय, मिनी सचिवालय, जिंद, हरियाणा -126102
89. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, समाहरणालय, राजेंद्र नगर, भरतपुर, राजस्थान-321001

90. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, मोहल्ला लाडिया, अलवर, राजस्थान - 301001
91. आयुक्त, मेरठ नगर निगम, घंटा घर के निकट, कैसर गंज रोड, मेरठ - 250002
92. आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, नवयुग मार्किट, पुरानी बस स्टैंड के सामने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001
93. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शामली, मिल रोड, शामली, उत्तर प्रदेश -247776
94. अध्यक्ष, नगर पालिका, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
- 95.अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, एसडी एरिया, मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251002
96. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हापुर, लोधी गेट नगर, अतरपूरा चौपटा, हापुड, उत्तर प्रदेश -245101
97. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बाघपत, उत्तर प्रदेश
98. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
99. आयुक्त, नगर निगम रोहतक, अंबेडकर चौक, एम सी कार्यालय, के सामने, बीएसएनएल कार्यालय, रोहतक, हरियाणा - 124001
100. आयुक्त, नगर निगम, सोनीपत, रेलवे स्टेशन के निकट, सोनीपत, हरियाणा - 131001
101. आयुक्त, नगर निगम पानीपत, ताऊ देवी लाल, कॉम्प्लेक्स, रेलवे रोड, पानीपत, हरियाणा - 132103
102. आयुक्त, नगर निगम, करनाल, सेक्टर-12, (नियर मिनी सेक्रेटेरियट), अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा - 132001
103. आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद, बी.के. चौकी, न्यू इंडस्ट्रीयल टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा – 121001
104. आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम, सी 1, इन्फो सिटी, सेक्टर 34, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001
105. जिला नगर आयुक्त, भिवानी नगर पालिका समिति, रेलवे स्टेशन के निकट, भिवानी, हरियाणा
106. अपर उपायुक्त, नगर पालिका परिषद रेवाड़ी, भरावास रोड, अग्रसेन चौक के निकट, भजन का बाग, राम बाघ मोहल्ला, रेवारी, हरियाणा -123401
107. जिला नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषद नारनौल, पी. डब्लू. डी. रेस्ट हाउस के निकट, महेंद्रगढ़, हरियाणा
108. उपायुक्त, नगर परिषद, पलवल, दूसरी मंजिल, मिनी सेक्रेटेरिएट, पलवल, हरियाणा- 121102
109. कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति, नूंह, सब्जी मंडी के निकट, सिविल लाइन्स, नूंह, हरियाणा - 122107
110. कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद्, झज्जर, छुछकवास रोड, झज्जर, हरियाणा-124103
111. उपायुक्त, नगर परिषद, मिनी सचिवालय, जिला चरखी दादरी, हरियाणा
112. उपायुक्त, नगर परिषद, पुलिस लाइन्स , जिला जींद, हरियाणा – 126102

113. आयुक्त, नगर निगम भरतपुर, मथुरा गेट, भरतपुर, राजस्थान - 321001
114. आयुक्त, नगर परिषद, अलवर, चर्च रोड, अलवर, राजस्थान
115. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 44, हुडा सिटी सेंटर, मेट्रो स्टेशन के निकट, गुरुग्राम, हरियाणा - 122003
116. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पीएसओ, सीजीओ, 5वाँ, ए ब्लॉक, CGO कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र - 440001
117. प्रबंध निदेशक, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
118. प्रबंध निदेशक, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, शक्ति किरण बिल्डिंग, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
119. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, (टीपीडीडीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-110009
120. प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूएचवीवीएनएल) विद्युत सदन, प्लॉट नंबर सी-16, सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा
121. प्रबंध निदेशक, दक्षिणी हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (DHVVNL), विद्युत सदन, विद्युत नगर, हिसार, हरियाणा-125005
122. प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL), उर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ, उत्तर प्रदेश -250001
123. प्रबंध निदेशक, नॉएडा पावर कंपनी लिमिटेड, (NPCL) कमर्शियल काम्प्लेक्स, पहली एवेन्यू, पॉकेट एच, सेक्टर अल्फा 11, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
124. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान - 302005
125. प्रबंध निदेशक, भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिमिटेड (जेवीवीएनएल), विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान -302005
126. प्रबंध निदेशक, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी), गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली, डीटीसी हेडक्वार्टर्स, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
127. प्रबंध निदेशक, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, टिहरी कोठी, एमजी मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
128. प्रबंध निदेशक, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ़ हरियाणा, 30 बायस बिल्डिंग, द्वितीय तल. सेक्टर-17सी, चंडीगढ़-160017
129. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट निगम, परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर, राजस्थान - 302001

130. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), राजीव गाँधी थर्मल पाँवर प्रोजेक्ट, हरियाणा पाँवर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, तहसील, खेदर, बरवाला, विद्युत् सदन, विद्युत् नगर, हिसार-125122
131. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), दीन बंधू छोटूराम थर्मल पाँवर स्टेशन, हरियाणा पाँवर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, ग्राम : पंसारा, यमुनानगर - 135004
132. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), पानीपत थर्मल पाँवर स्टेशन, हरियाणा पाँवर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, असान, जींद रोड, पानीपत, हरियाणा-132105
133. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ओ एंड एम), झज्जर, पाँवर लिमिटेड, महात्मा गाँधी थर्मल पाँवर प्लांट, सीएलपी इंडिया लिमिटेड, तहसील- मतन्हाई, जिला- झज्जर, हरियाणा - 124106
134. प्लांट इन चार्ज, हरदुआगंज थर्मल पाँवर स्टेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
135. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम) तलवंदी साबो पाँवर लिमिटेड, ग्राम -बनावाला, मनसा, तलवंडी साबो रोड, मनसा - 151302
136. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ओ एंड एम), राजपुरा थर्मल पाँवर प्लांट, नाभा पाँवर लिमिटेड, नालाश/नलस विलेज, राजपुरा, जिला-पटियाला, पंजाब
137. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), गुरु गोबिंद सिंह थर्मल पाँवर स्टेशन, पंजाब राज्य स्टेट बिजली बोर्ड, रोपड़, पंजाब
138. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), गुरु हरगोबिन्द सिंह, थर्मल पाँवर स्टेशन, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लहरा, मोहब्बत, भटिंडा, पंजाब
139. नेशनल कैपिटल थर्मल पाँवर स्टेशन (एनसीटीपीएस) नेशनल थर्मल पाँवर कारपोरेशन, दादरी, जिला: गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201008
140. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम) राजीव गाँधी थर्मल पाँवर प्रोजेक्ट, हरियाणा पाँवर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, तहसील, खेडर, बरवाला, हिसार, हरियाणा - 125122

सूचना और उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिलिपि:

- 1.अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड, राइसिना रोड, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110001
2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार, कमरा नंबर - 112, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
3. महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, (सीपीडब्ल्यूडी), ए-विंग, कमरा नं. 101, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली - 110003

2. रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
3. सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
4. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली - 110001
5. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, रफी मार्ग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली, दिल्ली - 110001
6. सचिव, दूर संचार एवं सुचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, संचार भवन, 20 अशोक रोड नई दिल्ली -110001
7. . अध्यक्ष और सभी सदस्य (सह सदस्यों सहित), सीएक्यूएम

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव
ई-मेल: arvind.nautiyal@gov.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निर्देश सं. 77 का परिशिष्ट

एन सी आर के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी)

(अक्टूबर 2023 में संशोधित)

1. एन.सी.आर. दिल्ली में हानिकर वायु गुणवत्ता को ग्रेप (GRAP) में चार भिन्न-भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् चरण -I, 'खराब' (एक्यूआई 201-300), चरण-II 'बहुत खराब (एक्यूआई 301-400), चरण III 'गंभीर' (एक्यूआई 401-450) और चरण -IV "गंभीर +" (एक्यूआई > 450) क्रमशः।
2. ग्रेप (GRAP) की चरण II, III और IV के तहत कार्रवाई एक्यूआई के अनुमानित स्तर पर पहुँचने पर कम से कम तीन दिन पूर्व की जायेगी जो कि रोजाना के आधार पर आयोग को आई एम डी/आईआईटीएम द्वारा दिये गये डायनामिक मॉडल और मौसम संबंधी पूर्वानुमान के आधार पर होगी।
3. वायु प्रदूषण चरण जिस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया, इसके अलावा पिछली चरणों पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी | उदहारण के लिए चरण III श्रेणी पर जब भी प्रतिबन्ध लगाए गये थे वह क्रमशः चरण I एवं II पर लगाए गये प्रतिबन्ध के अलावा होंगे।

4. आयोग द्वारा जीआरएपी पर गठित उपसमिति अग्रिम कार्रवाई की योजना बनाने और जीआरएपी के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश देने हेतु प्रायः बैठकें आयोजित करेगी जो कि प्रचलित वायु गुणवत्ता और एक्वूआई पूर्वानुमान पर आधारित होगी जिसे आईएमडी समय समय पर जारी करेगा | ग्रेप को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा उपसमिति द्वारा की जायेगी।
5. एनसीआर राज्यों और जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव प्रायः ग्रेप के कार्यों एवं कार्यान्वयन भी समीक्षा करेंगे, विशेषतः तब, जब वायु गुणवत्ता "गंभीर" या गंभीर + " श्रेणी(चरण III एवं उसके परे) पहुँचती है या पहुँचने की सम्भावना होती है |
6. आयोग, प्रचलित एक्वूआई और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ग्रेप के कार्यक्रम में अतिरिक्त उपाय और अपवाद के लिए विभिन्न वायु प्रदूषण श्रेणियों में यानी (चरण I से IV तक) निर्णय ले सकता है |

एन सी आर के लिए ग्रेप_ (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान)

चरण-I 'खराब' वायु गुणवत्ता स्तर (दिल्ली ए क्यूआई 201-300)

<u>कार्रवाई</u>	<u>जिम्मेदार/कार्यान्वयन करनेवाली एजेंसियाँ</u>
1. धूल कम करने के उपायों और सी एंड डी वेस्ट का उचित पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।	-अध्यक्ष - सीपीसीबी डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)
2. ऐसी परियोजनायें जिनका प्लॉट 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, जिन्हें सम्बंधित राज्य/जीएनसीटीडी के वेब पोर्टल पर आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देश सं 11-18 दिनांक 11.06.2021 के अनुसार अभी तक पंजीकृत नहीं कराया गया है, वहाँ कड़ाई से अनुपालन किया जाये	-दिल्ली - एनसीआर के कस्बों में आयुक्त/स्थानीय निकायों के मुख्य अभियन्ता -निर्माण एजेंसियाँ/एवं प्लॉट मालिक (दोनों सार्वजनिक / निजी)

<p>3. नगर पालिका सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्लू), सी एंड डी वेस्ट और खतरनाक वेस्ट डंप साईट से नियमित रूप से उठाना और सुनिश्चित करना कि खुली ज़मीन पर अवैध तरीके से कचरा न फेंका जाए।</p>	<p>दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता।</p> <p>-सभी भूमि – स्वामित्व वाली एजेंसियाँ -निर्माण एजेंसियाँ(दोनों- सार्वजनिक/निजी)</p>
<p>4. समय-समय पर सड़कों में मशीन द्वारा सफाई और पानी का छिडकाव सुनिश्चित करें नामित साईट/लैंडफिल में ही एकत्रित धूल का निपटान किया जाए </p>	<p>-दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता।</p> <p>-सभी सड़क मालिक और रखरखाव एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।</p>
<p>5. परिसरों में सी एंड डी सामग्री और वेस्ट ठीक से ढककर रखना सुनिश्चित करें सी एंड डी कचरे को उचित प्रक्रिया सुविधाओं के साथ रीसाइकल किया जाना सुनिश्चित करना </p> <p>6. सी एंड डी साईट पर एंटी स्मॉग गन के उपयोग के लिए दिशा निर्देशों और मानदंडों को कड़ाई से लागू करना</p> <p>7. सड़क निर्माण,रखरखाव एवं मरम्मत परियोजना स्थलों पर एंटी स्मॉग गन, पानी के छिडकाव और धूल दबाने के उपाय तेजी से किये जाएँ </p>	<p>-दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता।</p> <p>-सभी निर्माण एजेंसियाँ और प्लाट मालिक (सार्वजनिक एवं निजी)।</p> <p>दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता।</p> <p>सभी निर्माण एजेंसियाँ और प्लाट मालिक (सार्वजनिक एवं निजी)।</p> <p>- एनसीआर में सभी रखरखाव एजेंसियाँ और प्लाट मालिक</p>
<p>8. बायोमास एवं सॉलिड वेस्ट को खुले में जलाने पर सख्त पाबंदी लागू की जाये। उल्लंघन करने पर माननीय एन जी टी के ओ .ए. सं.21/2014 के आदेश दिनांक 04.12.2014 एवं 28.04.2015 के अनुसार भारी जुर्माना लगाया जाए।</p> <p>9. यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी चौकसी बरती जाए कि लैंडफिल साईट/ डंप साईट पर आग लगने की घटना न हो।</p>	<p>-अध्यक्ष सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी(एनसीआर)</p> <p>-दिल्ली – एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/ मुख्य अभियंता।</p> <p>-सभी भू-स्वामित्व एजेंसियाँ</p>

<p>10. सभी चिह्नित कॉरिडोर और भीड़भाड़ वाले चौराहों पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के प्रयत्न किए जाए </p>	<p>-दिल्ली एवं एनसीआर कस्बों में आयुक्त या यातायात पुलिस प्रमुख</p>
<p>11. वाहन पी यू सी (पौल्यूसन अंडर कण्ट्रोल) मानदंडों पर कड़ी सतर्कता और प्रवर्तन।</p>	<p>-दिल्ली और एनसीआर राज्यों के आयुक्त या यातायात विभाग के प्रमुख </p>
<p>12. वाहनों से प्रत्यक्ष एवं भारी उत्सर्जन के लिए कोई सहिष्णुता नहीं - प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कुर्की या अधिकतम अर्थ दण्ड लगाकर रोका जाये </p>	<p>-दिल्ली और एनसीआर कस्बों के आयुक्त या यातायात पुलिस के प्रमुख।</p>
<p>13. गैर नियत ट्रक यातायात के डायवर्जन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को सख्ती से लागू करें जोकि दिल्ली के लिए पूर्वी एवं पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से होकर जाएगा </p>	<p>-एन सी टी दिल्ली और एन सी आर कस्बों में यातायात पुलिस प्रमुख। -एनसीटी दिल्ली / एन सीआर कस्बों के जिला मेजिस्ट्रेट/उप आयुक्त -एनसीटी दिल्ली और एनसीआर कस्बों के नगर पालिका निगमों के आयुक्त।</p>
<p>14. एन जी टी /माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निश्चित आयु से अधिक(पुराने) डीजल /पेट्रोल वाहनों पर आदेश और वर्तमान कानून कड़ाई से लागू करें </p>	<p>-दिल्ली एवं एनसीआर कस्बों के आयुक्त या यातायात विभाग के प्रमुख - दिल्ली एवं एनसीआर राज्यों के आयुक्त या यातायात पुलिस प्रमुख</p>

<p>15. प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन न करने वाली और अवैध औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कठोर दण्ड/कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>16. सुनिश्चित करें कि उद्योगों, ईट भट्टों और हॉट मिक्स प्लांटों द्वारा केवल अनुमोदित इंधन का उपयोग किया जाये तथा उत्सर्जन के निर्धारित मानकों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।</p> <p>17. ईट भट्टों और हॉट मिक्स प्लांटों में केवल अनुमोदित इंधन का प्रयोग सुनिश्चित करें। सभी प्रदूषण नियंत्रण विनियमों को कड़ाई के साथ लागू किया जाए और उल्लंघन होने पर बंदी के आदेश दिए जाएँ, यदि कोई हों।</p>	<p>- अध्यक्ष, सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)</p> <p>- एनसीटी – दिल्ली/एनसीआर कस्बों के जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त,</p> <p>- दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त</p>
<p>18. ताप विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन मानदंडों को सख्ती से लागू करें और गैर अनुपालन के लिए सख्त कार्रवाई करें।</p>	<p>- दिल्ली के 300 कि.मी. के दायरे में स्थित विद्युत संयंत्रों के संयंत्र प्रभारी</p> <p>- अध्यक्ष- सीपीसीबी/डीपीसीसी/एसपीसीबी (एनसीआर)</p>
<p>19. पटाखों पर प्रतिबन्ध लगाने के माननीय न्यायालयों /अधिकरण के आदेशों को सख्ती से लागू करें।</p>	<p>- दिल्ली पुलिस के आयुक्त एन सी आर कस्बों के आईजी/डीआईजी/एसपी या लाइसेंस जारी करने वाले प्रभारी अधिकारी।</p> <p>- एनसीआर में सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त</p> <p>- विस्फोटकों, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य नियंत्रक।</p>
<p>20. औद्योगिक और अविकसित क्षेत्रों से औद्योगिक अपशिष्ट नियमित रूप से</p>	<p>- अध्यक्ष, सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)।</p>

उठाना और उसका उचित निपटान सुनिश्चित किया जाये।	- दिल्ली - एनसीआर के कस्बों में आयुक्त/स्थानीय निकायों के मुख्य अभियन्ता। - सभी भूमि - स्वामित्व वाली एजेंसियाँ - एनसीआर में सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त
21. एनसीआर में सभी डिस्कोम बिजली की अधिकतम आपूर्ति सुनिश्चित करें।	- एनसीआर में बिजली वितरण कंपनियों के प्रमुख।
22. सुनिश्चित करें कि डीजल जनरेटर सेट बिजली के नियमित स्रोत के तौर पर प्रयोग न किए जाए।	- अध्यक्ष सीपीसीबी डीपीसीसी एसपीसीबी, (एनसीआर) - एनसीआर में सम्बंधित जिलों के जिला अधिकारी /उपायुक्त।
	-
23. होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में तंदूर में कोयला / लकड़ी के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं।	अध्यक्ष सीपीसीबी डीपीसीसी एसपीसीबी, (एनसीआर) -
24. सुनिश्चित करें कि होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में केवल बिजली और स्वच्छ इंधन गैस आधारित उपकरणों का प्रयोग हो।	- दिल्ली - एनसीआर के कस्बों में आयुक्त/स्थानीय निकायों के मुख्य अभियन्ता। -
25. सोशल मीडिया सहित मोबाइल एप्स के माध्यम से लोगों को सूचना प्रसारित की जानी चाहिए जिससे वे प्रदूषण से संबंधित गतिविधियों/स्रोतों के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित कर सकें और प्रदूषण के स्तर के अनुसार सरकार द्वारा कार्रवाई की जायेगी।	- जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्यों के एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग। - अध्यक्ष सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)
26. 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप और ऐसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्राप्त शिकायतों का निदान सुनिश्चित करना जिससे प्रदूषण गतिविधियों में कमी आए।	- एनसीआर कस्बों में स्थानीय शहरी निकायों के प्रमुख। - अध्यक्ष - सीपीसीबी, डीपीसीसी, एस पी सीबी(एनसीआर) - निर्माण एजेंसियाँ, भूमि -मालिक एजेंसियाँ, विकास एजेंसियाँ और ऐसी सभी सम्बंधित कार्यान्वयन एजेंसियाँ।

<p>27.यातायात कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत आवागमन करने के लिए प्रोत्साहित करना ।</p>	<p>- एन सी आर एवं जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें।</p>
<p>नागरिक चार्टर</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आपने वाहनों जैसे कार/बाईक/स्कूटरों आदि के इंजन को ट्यूनिंग करके रखें । • अपने वाहनों के टायरों में हवा का उचित दबाव बनाए रखें । • अपने वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट को अपडेट रखें। • अपने वाहन का इंजन बंद करके रखे, जब वाहन ट्रेफिक सिगनल पर खड़ा हो । • कूड़ा-करकट /कचरा खुले में न फेंके। • 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि के माध्यम से वायु प्रदूषण गतिविधियों की रिपोर्ट करें। • अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं । • पर्यावरण हितैषी ढंग से त्यौहार मनाएं –पटाखे चलाने से बचें । • 10/15 वर्ष पुराने डीजल /पेट्रोल वाहनों को न चलायें । • वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहन इलेक्ट्रिक वाहन को तरजीह दें ।

चरण-II – बहुत खराब वायु गुणवत्ता स्तर

(दिल्ली एम्यूआई 301-400)

क्रम सं	कार्रवाई	जिम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियाँ
1. 2.	चिन्हित सड़कों पर व्यापक मशीनीकृत सफाई रोजाना की जाए। सड़कों पर धूल कम करने के लिए पानी और धूल कम करने वाले रसायनों का छिडकाव (कम से कम हर दूसरे दिन), हॉट स्पॉट, भारी ट्रैफिक रास्तों, संवेदनशील क्षेत्रों में (पीक आवर्स से पहले) सुनिश्चित करें और एकत्रित धूल का उचित निपटान निर्दिष्ट स्थल/लैंडफिल में करें।	-दिल्ली –एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियंता। -सभी सड़क मालिकों और रखरखाव एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। -दिल्ली व एन सी आर कस्बों के यातायात पुलिस के आयुक्त ऐसी सड़कों की पहचान करें जहाँ भारी यातायात रहता है और सम्बंधित नगर पालिका आयुक्तों को जानकारी दें।
3.	सी एन्ड डी साईट पर नियमित निरीक्षण एवं धूल नियंत्रण उपायों का कड़ाई से प्रवर्तन।	-अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी, (एनसीआर) -दिल्ली एवं एन सी आर , कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियंता।
4.	एन सी आर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए फोकस और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रतिकूल	अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी, (एनसीआर)

	वायु गुणवत्ता को बढ़ाने वाले प्रत्येक हॉटस्पॉट पर उपचारात्मक उपाय तेज करें।	-दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियन्ता। - एनसीआर में राज्य सरकारें और जी एन सीटी डी	
5.	जनरेटर सेट के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें।	-राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव। -दिल्ली और एनसीआर जिलों के बिजली वितरण कंपनियों के प्रमुख.	
6. दिनांक 29.09.2023 के निर्देश सं 76 के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित एनसीआर के सभी क्षेत्रों में डीजी सेट के विनियमित सञ्चालन का निम्नलिखित कार्यक्रम कड़ाई से लागू किया जाये: -		-अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी, (एनसीआर) -दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियन्ता। - एनसीआर राज्यों और जी एन सीटी डी में सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त	
डी जी सेटों की क्षमता सीमा	उत्सर्जन नियंत्रण के लिए अपनाये जाने वाला सिस्टम		उपयोग के लिए विनियम
एलपीजी/प्राकृतिक गैस /बायोगैस /प्रोपेन /बुटान पर चल रहे सभी बिजली उत्पादन सेट	कोई नहीं		कोई प्रतिबन्ध नहीं
800के डब्लू क्षमता के नए बिजली उत्पादन सेट जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 03.11.2022 की	कोई नहीं		कोई प्रतिबन्ध नहीं

अधिसूचना सं . क्यू 15017/05/2012- सीपी डब्लू के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार है।			
800 कि०. वाट और ऊपर	कोई भी उत्सर्जन नियंत्रण प्रक्रिया जिसमें निर्धारित उत्सर्जन मानकों का कड़ाई से पालन किया जाता हो।	कोई प्रतिबन्ध नहीं	
125 के डब्लू से लेकर 800 के डब्लू से कम	दोहरा ईंधन मोड़ या रेट्रो-फिटेट ईसीडी प्रमाणित ऐजेंसी या विक्रेता द्वारा	कोई प्रतिबन्ध नहीं	
19 के डब्लू से लेकर 125 के डब्लू तक	दोहरा ईंधन मोड़	कोई प्रतिबन्ध नहीं गैस संरचना उपलब्धता न होने के कारण दोहरे ईंधन मोड़ में न चलने वाले डी जी सेट निर्धारित आपातकालीन सेवाओं के लिए चलाने की अनुमति होगी।	
पोर्टेबल डी जी सेट (19 के डब्लू से नीचे)	वर्तमान में इस श्रेणी /सीमा क्षमता		

	<p>में उत्सर्जन नियंत्रण के कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है।</p>	<p>सामान्य तौर पर अनुमति नहीं है। केवल निर्धारित आपात कालीन सेवाओं के लिये अनुमति दी जा सकती है।</p>	
<p>टिप्पणी :- आपात कालीन सेवाओं में बाधा न डालने और मौजूदा डी जी सेटों में उत्सर्जन नियंत्रण प्रक्रिया को अपनाने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से एक बार में अपवाद स्वरूप सभी क्षमता रेंज के डी जी सेट (जो कि अभी भी उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों / प्रणाली से सुसज्जित नहीं है) उन्हें केवल 31-12-2023 तक नीचे दी गई सूची के अनुसार चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद उपरोक्त उत्सर्जन नियंत्रण उपायों का कठोरता से अनुपालन किया जायेगा:-</p>			
<p>(i) लिफ्ट / एस्केलेटर / ट्रैवलेटर आदि विभिन्न प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक संस्थाएं/आवासीय सोसायटी हालाँकि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डीजी सेटों का संचालन और आपूर्ति वहां तक ही सीमित है लिफ्ट / एस्केलेटर / का संचालन ट्रैवलेटर्स आदि तक ही सीमित होगा और किसी अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं की गतिविधियाँ / आवासीय सोसायटी के लिए नहीं।</p> <p>(ii) चिकित्सा सेवाएँ (अस्पताल/नर्सिंग) घर/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं) इसमें जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण औषधियाँ और दवाइयों का निर्माण।</p> <p>(iii) रेलवे सेवाएँ/रेलवे स्टेशन।</p> <p>(iv) मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एमआरटीएस सेवाएँ, जिनमें रेलगाड़ियाँ और स्टेशन शामिल हैं।</p> <p>(v) हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी)।</p>			

	(vi) गंदा पानी साफ़ करने के संयंत्र। (vii) जल पम्पिंग स्टेशन (viii) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएँ, रक्षा एवं राष्ट्रीय महत्व का। (xi) दूरसंचार और आईटी/डेटा सेवाएँ।	
7.	यातायात संचालन के समय (कई कामों के लिए) चौराहों/यातायात बिन्दुओं पर पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात करें जिससे यातायात को सुचारू प्रवाह के साथ चलाया जा सके।	-दिल्ली और एन सी आर कस्बों की पुलिस आयुक्त या प्रभारी अधिकारी यातायात।
8.	वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों को कम करने के लिए "क्या करें क्या न करें" इत्यादि हेतु समाचार पत्र/टीवी/रेडियो पर अलर्ट जारी करें।	-अध्यक्ष -सीपीसीबी, डीपीसीबी एसपीसीबी (एनसीआर)
9.	निजी परिवहन को हतोत्साहित करने हेतु पार्किंग शुल्क बढ़ायें।	-एनसीआर राज्यों एवं जीएनसीटीडी के शहरी स्थानीय निकायों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव -दिल्ली एवं एनसीआर राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त।
10.	सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाए।	-एनसीआर राज्य सरकारें -एनसीटी, दिल्ली और एनसीआर राज्य सरकारों के यातायात विभाग के प्रधान सचिव -दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) -एनसीआर कस्बों के राज्य परिवहन निगम -दिल्ली एकीकृत बहु-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस)

		-दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी)
11.	आवास कल्याण संघ को सर्दियों के दौरान सुरक्षा कर्मियों को बिजली के हीटर उपलब्ध करना चाहिए जिससे खुले में बायोमास और सॉलिड वेस्ट जलाने से बचा जा सके।	-आवास कल्याण संघ
नागरिक चार्टर	<ul style="list-style-type: none"> • लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें। • तकनीक प्रयोग करें, कम भीड़ वाला रास्ता चुने चाहे वह थोड़ा लम्बा हो। • अपने ऑटोमोबाइल में अनुशंसित अंतराल पर नियमित रूप से एयर फ़िल्टर बदलें। • अक्टूबर से जनवरी के महीनों में धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्य न करें। • सॉलिड वेस्ट और बायोमास को खुले में न जलाएं। • 	

चरण - III - गंभीर वायु गुणवत्ता स्तर

(दिल्ली एक्वू आई 401 से 450 तक)

क्रम सं०	कार्रवाई	जिम्मेदार एजेंसियाँ/कार्यान्वयन एजेंसियाँ
1.	सड़कों की मशीनीकृत /वैक्यूम आधारित सफाई की आवृत्ति को और तेज करें।	-दिल्ली-एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता।
2.	धूल कम करने के लिए हर संभव प्रयास के साथ रोजाना सड़कों पर हॉटस्पोटों पर पानी का छिडकाव सुनिश्चित करें। निर्धारित स्थानों/लैंडफिल पर ही एकत्रित धूल का निस्तारण करें।	-सभी सड़क मालिकों और रखरखाव एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। -दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में पुलिस आयुक्त /यातायात पुलिस के प्रमुख भारी यातायात वाली सड़कों की पहचान करके सम्बंधित महानगर पालिका, आयुक्त /नगर पालिका निकायों के प्रमुख को जानकारी प्रदान करें।
3.	पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को और तेज करना off peak यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न दरें लागू करें।	-एनसीटी दिल्ली के यातायात विभाग के सचिव एवं आयुक्त । -एनसीआर राज्यों के यातायात आयुक्त । -प्रबंध निदेशक , दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) -अध्यक्ष, राज्य परिवहन निगम

<p>4.</p>	<p>निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियाँ :</p> <p>(i) निम्नलिखित परियोजनाओं और गतिविधियों को छोड़कर, पूरे एनसीआर में सी एंड डी गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबन्ध लागू करें।</p> <p>(क) रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन</p> <p>(ख) मेट्रो रेल सेवाएं एवं स्टेशन</p> <p>(ग) हवाई अड्डे और अंतर्राज्य बस टर्मिनल</p> <p>(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी राष्ट्रीय महत्व की गतिविधियां / परियोजनाएं</p> <p>(ङ) अस्पताल /स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं</p> <p>(च) लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, विद्युत् ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि।</p> <p>(छ) स्वच्छता संबंधी प्रोजेक्ट जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पानी सप्लाई प्रोजेक्ट आदि;</p> <p>(ज) सहायक गतिविधियाँ जो कि उपरोक्त श्रेणियों के पूरक परियोजनाओं से सम्बंधित है ।</p> <p>टिप्पणी –</p> <p>उपरोक्त छूट सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों , धूल की रोकथाम / नियंत्रण के निदेशों के सख्त अनुपालन के अधीन आयोग द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशों</p>	<p>एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी</p> <p>अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)।</p> <p>दिल्ली और एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियंता।</p>
-----------	---	---

के सख्त अनुपालन के साथ ही दी जायेगी ।

(ii) उपरोक्त (i) के तहत छूट प्राप्त परियोजनाओं के अलावा धूल पैदा करने /वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली सी एन्ड डी गतिविधियों को कड़ाई से इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित किया जाएगा जो नीचे दी गई है: –

- बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य सहित मिट्टी खुदाई और भराई का काम ।
- सभी संरचनात्मक निर्माण कार्य जिसमें फेब्रिकेशन और वेल्डिंग ऑपरेशन होते हैं ।
- डेमोलिशन कार्य।
- परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग
- निर्माण सामग्री, फ्लाई ऐश इत्यादि का कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से हस्तांतरण ।
- कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ।
- बैचिंग प्लांट का संचालन।
- सीवर लाइन बिछाने, पानी की लाइन , ड्रेनेज का काम और ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रिक केबलिंग।
- टाईलों, पत्थर और अन्य सामग्री का कटान ।
- ग्राइंडिंग गतिविधियाँ।
- पाईलिंग कार्य
- वाटर प्रूफिंग कार्य ।
- पेंटिंग, पोलिशिंग, और वारनिशिंग कार्य ।

• सड़क,फुटपाथ/रास्ते इत्यादि के निर्माण / मरम्मत कार्य
(iii) एनसीआर में सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए, गैर-प्रदूषणकारी /गैर-धूल पैदा करने वाली गतिविधियाँ जैसे प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सज्जा, विद्युत के कार्य और बढ़ईगीरी संबंधी कार्य और इंटीरियर फर्निशिंग/फिनिशिंग /डेकोरेशन कार्य (पेंटिंग ,पोलिशिंग और वारनिशिंग कार्य को छोड़ कर अन्य काम जारी रखे जा सकेंगे ।

5.	स्टोन क्रशिंग का कार्य बंद कर दें।	<p>-अध्यक्ष – सीपीसीबी डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)</p> <p>-पुलिस आयुक्त – दिल्ली और एनसीआर राज्यों के पुलिस महानिदेशक।</p> <p>-दिल्ली एवं एन सी आर में सम्बंधित जिलों के जिला अधिकारी/ उपायुक्त।</p>
6.	एन सीआर में खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों को बंद करें।	<p>अध्यक्ष –सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी, (एनसीआर)</p> <p>दिल्ली पुलिस आयुक्त और एन सी आर राज्यों के पुलिस महानिदेशक</p> <p>दिल्ली एवं एनसीआर राज्यों के सम्बंधित जिला अधिकारी / उपायुक्त।</p>
7.	एनसीआर की राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी बीएस III पेट्रोल और बी एस IV डीजल एल एम वी(4 पहिया वाहनों) पर दिल्ली,और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के जिलों में प्रतिबन्ध लगाएं।	<p>- एन सी आर में राज्य सरकारें और जी एन सी टी डी।</p> <p>- आयुक्त या परिवहन विभाग का प्रमुख</p> <p>- दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में पुलिस आयुक्त/यातायात पुलिस प्रमुख।</p>
8.	एनसीआर की राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी स्कूलों में बच्चों की कक्षा 5 तक की वास्तविक कक्षाओं को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलायें।	<p>- एन सी आर में राज्य सरकारें और जी एन सी टी डी।</p>

नागरिक चार्टर

- स्वच्छ आवागमन चुने - काम पर जाने के लिए साइकिल वाहन चुने - कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करें।
- जिन लोगों की स्थिति घर से काम करने के लिए सुविधाजनक है, वे घर से कार्य कर सकते हैं।
- गर्म करने के उद्देश्य से, कोयला और लकड़ी का प्रयोग न करें।
- व्यक्तिगत घर के मालिक सुरक्षा कर्मचारियों को सर्दी के समय खुले में आग जलाने के बजाय बिजली के हीटर प्रदान कर सकते हैं।
- कार्यों को एक साथ करें और यात्राओं को कम करें।

चरण -IV - गंभीर + वायु गुणवत्ता स्तर

(दिल्ली - एक्वआई >450)

कार्रवाई	जिम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियां
<p>1. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकें। (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले / आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी सीएनजी/ इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर)।</p> <p>2. ई वी /सीएनजी/बी एस-6 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत डीजल से चलने वाले एलसीवी वाहन को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति न दें। केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों अथवा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को चलने दें।</p>	<ul style="list-style-type: none">- राज्य सरकारें- परिवहन आयुक्त, जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्य।- दिल्ली एवं एनसीआर के कस्बों के पुलिस आयुक्त- दिल्ली और एनसीआर कस्बों के पुलिस आयुक्त/ यातायात पुलिस प्रमुख
<p>3. दिल्ली में पंजीकृत डीजल संचालित मध्यम गुड्स व्हीकल(एम् जी वी) और हैवी गुड्स व्हीकल (एचजीवी) को दिल्ली में चलने से रोकें। केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को चलने दें।</p>	<ul style="list-style-type: none">- एनसीआर और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारें।- जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्यों के परिवहन आयुक्त।- दिल्ली एवं एनसीआर कस्बों के पुलिस आयुक्त /यातायात पुलिस प्रमुख।
<p>4. लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे राजमार्ग, सडकें, फ्लाईओवर, ब्रिज बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि से सम्बंधित सी एंड डी गतिविधियाँ प्रतिबंधित करें।</p>	<p>-अध्यक्ष - सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी(एनसीआर)।</p> <p>-दिल्ली एन सी आर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता</p>
<p>5. एनसीआर राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी कक्षा vi -ix, कक्षा xi की कक्षाओं को फिजिकल मोड में चलने से चलाने से रोकने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकते हैं और ऑनलाइन मोड में पाठ चलायें।</p>	<p>एनसीआर एवं जी एन सी टी डी की राज्य सरकारें।</p>

<p>6. एनसीआर राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी सार्वजनिक , नगर पालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता और अन्य को घर से कार्य करने की अनुमति के सम्बन्ध में उचित निर्णय लें ।</p>	<p>एनसीआर एवं जी एन सी टी डी की राज्य सरकारें।</p>
<p>7. केन्द्रीय सरकार सरकारी कार्यालयों में घर से कार्य करने के लिए अनुमति देने के लिए निर्णय ले सकती है।</p>	<p>केन्द्रीय सरकार (डीओपीटी)</p>
<p>8. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपाय जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान, गैर-आपातकालीन वाणिज्य गतिविधियों को बन्द करने और वाहनों को आड-ईवन आधार पर चलाने इत्यादि के लिए विचार कर सकती हैं ।</p>	<p>एनसीआर और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारें।</p>
<p>नागरिक चार्टर</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बच्चे , बुजुर्ग और साँस की बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर, सेरेब्रोवास्कुलर या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचने के लिए जितना हो सके घर के अंदर रहें।